



हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

रजिस्टर्ड ऑफिस: पेट्रोलियम हाउस 17, जमशेदजी टाटा रोड, मुंबई 400 020

HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED

REGISTERD OFFICE: PETROLEUM HOUSE, 17, JAMSHEDJI TATA ROAD, CHURCHGATE, MUMBAI 400 020

Website: www.hindustanpetroleum.com CIN No. L2320 1MH1952GO1008858

एचपी गैस डिस्ट्रिब्यूशन, यू. पी. एच. यू. को. क्लस्टर ग्राम एवं डिस्ट्रीब्यूशन, कलकत्ता टॉवर, 112 मिडिल लाइन, बरेली-243001 फोन: 0581-2422020, 2870160, मो.: 7409000090
City Gas Distribution, UP & UK Cluster 1st & 2nd Floor, Mahatma Towers, 112 Civil Lines, Bareilly - 243001, Tel: 0581-2422020 2870160, Mob: 7409000090



पत्रांक:- HPCL/CGD/BRP/102

दिनांक:- 22/01/2023

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बरेली।

विषय:- हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली, द्वारा वन प्रभाग बरेली के अन्तर्गत लाल फाटक रोड एस०एच०-33 त्रिमूर्ति फिल्लिंग स्टेशन से बुखारा मोड (चैनेज 0.370 से 2.620) लगभग 2.25 कि०मी० में दायीं पटरी पर गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.12375 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं०- FP/UP/ Pipeline /152636/ 2022)

सन्दर्भ:- सचिव उ० प्र० शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के पत्रांक – पी 370/ 81-2-2022-800(378)/ 2022 दिनांक 27.12.2022 एवं आपका पत्रांक 3032/14-1, बरेली दिनांक 06.01.2023

महोदय,

कृपया उपर्युक्त सचिव, उ० प्र० शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के पत्रांक पी 370/ 81-2-2022-800(378)/ 2022 दिनांक 27.12.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि, उ० प्र० शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के पत्रांक पी 370/ 81-2-2022-800(378)/ 2022 दिनांक 27.12.2022 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। जिसके क्रम में आपके कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के हेतु लिखा गया है। सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों की बिंदुवार

मि० शशि
प्र० नि०
27/01/23

पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Proj. 36

अनुपालन आख्या व प्रमाण- पत्रों की 05-05 प्रतियाँ मूल में संस्तुत सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया तदनुसार अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करे।

क्र०	अनुपालन आख्या	अनुपालन आख्या का निस्तारण
1	कार्यदायी संस्था द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में उनके द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।	शर्त संख्या-1, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय का वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में उनके द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। (संलग्नक-1)
2	कार्यदायी संस्था द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि प्रकरण में बांछित समस्त धन राशि कैम्पा फण्ड के ई-पोर्टल पर जमा की जायेगी।	शर्त संख्या-2, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रकरण में बांछित समस्त धन राशि कैम्पा फण्ड के ई-पोर्टल पर जमा की जा चुकी है, जमा की गयी राशि की चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-2)
3	प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या-03 के क्रम में Complete Compliance of the FRA,2006 का प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।	शर्त संख्या-3, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस Compliance report के साथ Complete Compliance of the FRA, 2006 का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। (संलग्नक-3)
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि यदि लागू हो तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान के अनुसार पर्यावरण अनुमति उपलब्ध करायी जाये।	शर्त संख्या-4, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली को पर्यावरण की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के ले-आउट प्लान में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।	शर्त संख्या-5, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के ले-आउट प्लान में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। (संलग्नक-4)
6	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि प्रस्तावित स्थल पर किसी भी प्रकार का लेवर कैम्प स्थापित नहीं किया जायेगा।	शर्त संख्या-6, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित स्थल पर किसी भी प्रकार का लेवर कैम्प स्थापित नहीं किया जायेगा। (संलग्नक-5)
7	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता	शर्त संख्या-7, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम

पी. आनंद विक्टर
ANAND VICTOR
सहायक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि उ०प्र० वन विभाग/वन निगम विधिक स्रोत से जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईंधन क्रय कर श्रमिकों को उपलब्ध करायेंगे।	कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचन बद्धता दी जाती है कि उ० प्र० वन विभाग/वन निगम विधिक स्रोत से जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईंधन क्रय कर को उपलब्ध कराया जायेगा। (संलग्नक-6)
8	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि परियोजना के अंतर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम हो तक होगी।	शर्त संख्या-8, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम हो तक होगी। (संलग्नक-7)

9	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।	शर्त संख्या-9, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा। (संलग्नक-8)
10	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि परियोजना के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन नहीं करेगा यदि उल्लंघन किया गया तो MoEF and CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018 के अनुसार की गयी कार्यवाही मान्य होगी।	शर्त संख्या-10, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन नहीं करेगा यदि उल्लंघन किया गया तो MoEF and CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018 के अनुसार की गयी कार्यवाही मान्य होगी। (संलग्नक-9).
11	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवम जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवम वन्य जीव के संरक्षण/सुरक्षा एवम विकास के लिये समय समय पर जो भी अन्य शर्तें लगायी जायेगी, उसका अनुपालन किया जायेगा।	शर्त संख्या-11, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवम जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवम वन्य जीव के संरक्षण/सुरक्षा एवम विकास के लिये समय समय पर जो भी अन्य शर्तें लगायी जायेगी, उसका अनुपालन किया जायेगा। (संलग्नक-10).
12	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या कैम्पा फंड के ई-पोर्टल पर उनके द्वारा अपलोड कर दी जायेगी।	शर्त संख्या-12, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या कैम्पा फंड के ई-पोर्टल पर उनके द्वारा अपलोड कर दी जायेगी। (संलग्नक-11)
13	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता	शर्त संख्या-13, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम


P. ANAND VICTOR
 उप महाप्रबंधक - परियोजना
 Deputy General Manager - Projects

	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि पाइप लाइन वर्तमान(Surface Right) में प्रयुक्त रास्तो के किनारे पर ही बिछाई जायेगी।	कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन वर्तमान(Surface Right) में प्रयुक्त रास्तो के किनारे पर ही बिछाई जायेगी।(संलग्नक-12)
14	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जानी वाली ट्रेंच की गहराई 2.00 तथा चौड़ाई 1.00 मी0 से अधिक नहीं होगी।	शर्त संख्या-14, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जानी वाली ट्रेंच की गहराई 2.00 तथा चौड़ाई 1.00 मी0 से अधिक नहीं होगी। (संलग्नक-13)
15	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भरकर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	शर्त संख्या-15, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भरकर कम्पैक्ट किया जायेगा जिससे कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो। (संलग्नक-14)
16	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	शर्त संख्या-16, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। (संलग्नक-15)
17	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	शर्त संख्या-17, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी। (संलग्नक-16)
18	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादित से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	शर्त संख्या-18, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादित से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।(संलग्नक-17)
19	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि भूमि का सरफेस राइट्स(Surface right) नहीं दिया जायेगा एवम वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।	शर्त संख्या-19, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स(Surface right) नहीं दिया जायेगा एवम वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना


P. ANAND VICTOR
 उपायुक्त - परियोजना
 Deputy General Manager - Projects

		रहेगा। (संलग्नक-18)
20	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20किमी0 तीन लाइनो में वृक्षारोपण कराया जायेगा।	शर्त संख्या-20, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा उ0 प्र0 शासन पत्र सी0 जी0 आइ0 -196/14-2-2010-1017/10 दिनांक 02.07.2010 एवं शासनादेश दिनांक 07.01.2011 के अनुपालन में जनपद बदायूं में किसी भी स्थानपर कुल 20 किमी0 तीन लाइनो में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु 15730000/- रु0 को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूं में जमा करा दिये गये हैं, उसकी प्रति संलग्न है। (संलग्नक-19)
21	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	शर्त संख्या-21, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है, उसकी प्रति संलग्न है। (संलग्नक-20)
22	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि एजेंसी के पास वैध व अधिकृत लाइसेंस हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	शर्त संख्या-22, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास वैध व अधिकृत लाइसेंस हैं तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, उसकी प्रति संलग्न है। (संलग्नक-21)
23	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि भारत सरकार के पत्र स0-5-3/2007 एफसी(पीटी) दिनांक 19-08-2010 तथा पत्र स0-j-1013/41/2006-IA-ii(I) दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू हो तो कार्य करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की द्रष्टि से स्टैंडिंग कमेटी आफ नेशनल बोर्ड आफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया है।	इस संबन्ध में यह प्रमाण पत्र लागू नहीं होता है।
24	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 11-09/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल	शर्त संख्या-24, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 11-09/98- एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये

R-ANAND VICTOR
 उप महाप्रबंधक - परियोजना
 Deputy General Manager - Projects

	डाटा फाइल में दर्शाया हो।	भू-संदर्भित डिजीटल डाटा फाइल में दर्शाया है ,जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (संलग्नक-22)
25	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर भारत सरकार पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित के जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये धनराशि उपलब्ध करायेगा।	उक्त परियोजना में अपशिष्ट उपलब्ध नहीं है जिस कारण मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र वांछित नहीं है।
26	नोडल अधिकारी उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह से जारी अनुमति की रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।	अपेक्षित नहीं है।
27	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि परियोजना स्थल के आस पास के फ्लोरा / फाना संरक्षण के अंतर्गत हर सम्भव उपाय किया जायेगा।	शर्त संख्या-27, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना स्थल के आस पास के फ्लोरा / फाना संरक्षण के अंतर्गत हर सम्भव उपाय किया जायेगा।(संलग्नक-23)
28	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य परियोजना के लिये नहीं किया जायेगा। किसी परियोजना हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार के अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	शर्त संख्या-28, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कि प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य परियोजना के लिये नहीं किया जायेगा।(संलग्नक-24)
29	उक्त के अतिरिक्त समय समय पर क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र लखनऊ के अनुसरण के अधीन होगी।	शर्त संख्या-29, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड उक्त के अतिरिक्त समय समय पर क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र लखनऊ के अनुसरण के अधीन होगी। (संलग्नक-25)
30	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि प्रस्तावित वन भूमि 0.57145 है0 का शुद्ध वर्तमान@957780 लाख प्रति है0 की दर से रु0 5,47,324/- को ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फंड मै जमा की जायेगी।	शर्त संख्या-30, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग बरेली के पत्र संख्या 3032/14-1,बरेली दिनांक 06.01.2023 के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित हो रही 0.12375 है0 संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन0 पी0 वी0) की धनराशि


 P. ANAND VICTOR
 उप महाप्रबंधक - परियोजना
 Deputy General Manager - Projects

		1,18,525/- ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फंड में जमा की जा चुकी है। जमा की गयी राशि की चालान की प्रति संलग्न है।(संलग्नक-26)
31	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की बिंदुवार अनुपालन आख्या में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तावित स्थल ROW से आच्छादित होने का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	अपेक्षित नहीं है
32	प्रश्रुत विधिवत स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिंदु पर तथ्य चिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयः उत्तरदायी होंगे।	अपेक्षित नहीं है


 P. ANAND VICTOR
 उप महाप्रबंधक - परियोजना
 Deputy General Manager - Projects
 (पी० आनंद विक्टर)
 उप महाप्रबंधक - परियोजना
 हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरेली

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली, द्वारा वन प्रभाग बरेली के अन्तर्गत लाल फाटक रोड एस०एच०-33 त्रिमूति फिल्लिंग स्टेशन से बुखारा मोड (चैनेज 0.370 से 2.620) लगभग 2.25 कि०मी० में दायीं पटरी पर गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.12375 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 01

शर्त संख्या-1, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में उनके द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

(समीर कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सांघाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

अ.वी. अनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक - परियोजना
अधिकृत, वन प्रभाग - Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग बरेली के अन्तर्गत लाल फाटक रोड एस०एच०-33 त्रिमूर्ति फिल्लिंग स्टेशन से बुखारा मोड (चैनेज 0.370 से 2.620) लगभग 2.25 कि०मी० में दायीं पटरी पर गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.12375 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 02

शर्त संख्या-2, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रकरण में वांछित समस्त धन राशि कैम्पा फण्ड के ईपोर्टल - पर जमा की जा चुकी है, जमा की गयी राशि की चालान की प्रति संलग्न है ।

(समीर कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

प्र. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
अधिकृत, परियोजना
Deputy General Manager - Projects
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग बरेली के अन्तर्गत लाल फाटक रोड एस०एच०-33 त्रिमूति फिल्लिंग स्टेशन से बुखारा मोड (चैनेज 0.370 से 2.620) लगभग 2.25 कि०मी० में दायीं पटरी पर गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.12375 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 03

शर्त संख्या-3, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस Compliance report के साथ Complete Compliance of the FRA, 2006 का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है ।


(समीर कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली


P. ANAND VICTOR
अधिकृत - परियोजना
Deputy General Manager - Projects
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली, द्वारा वन प्रभाग बरेली के अन्तर्गत लाल फाटक रोड़ एस०एच०-33 त्रिमूति फिल्लिंग स्टेशन से बुखारा मोड़ (चैनेज 0.370 से 2.620) लगभग 2.25 कि०मी० में दायीं पटरी पर गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.12375 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 05

शर्त संख्या-5, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के लेआउट - प्लान में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।


(समीर कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

पी. आनंद विक्टर
ANAND VICTOR
उप-प्रबंधक - परियोजना
General Manager - Projects
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली, द्वारा वन प्रभाग बरेली के अन्तर्गत लाल फाटक रोड़ एस०एच०-33 त्रिमूति फिल्लिंग स्टेशन से बुखारा मोड़ (चैनेज 0.370 से 2.620) लगभग 2.25 कि०मी० में दायीं पटरी पर गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.12375 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 06

शर्त संख्या-6, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित स्थल पर किसी भी प्रकार का लेवर कैम्प स्थापित नहीं किया जायेगा ।


(समीर कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक, वानिकी प्रभाग, बरेली


P. ANAND VICTOR
ग्रुप महाप्रबंधक - परियोजना
अधिकृत, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली, द्वारा वन प्रभाग बरेली के अन्तर्गत लाल फाटक रोड एस०एच०-33 त्रिमूति फिल्लिंग स्टेशन से बुखारा मोड (चैनेज 0.370 से 2.620) लगभग 2.25 कि०मी० में दायीं पटरी पर गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.12375 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 07

शर्त संख्या-7, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि उ० प्र० वन विभाग/वन निगम विधिक स्रोत से जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईंधन क्रय कर को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(समीर कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

अधिकृत हस्ताक्षर
P. ANAND VICTOR
परियोजना
Manager - Projects
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग बरेली के अन्तर्गत लाल फाटक रोड एस०एच०-33 त्रिमूति फिल्लिंग स्टेशन से बुखारा मोड (चैनेज 0.370 से 2.620) लगभग 2.25 कि०मी० में दायीं पटरी पर गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.12375 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 08

शर्त संख्या-8, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम हो तक होगी ।

(समीर कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

पि. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
अधिकृत परियोजना
Deputy General Manager - Projects
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग बरेली के अन्तर्गत लाल फाटक रोड एस०एच०-33 त्रिमूति फिल्लिंग स्टेशन से बुखारा मोड (चैनेज 0.370 से 2.620) लगभग 2.25 कि०मी० में दायीं पटरी पर गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.12375 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 09

शर्त संख्या-9, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा ।

(समीर कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सायाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

अधिकृत
P. ANAND VICTOR
अधीक्षक - परियोजना
Deputy General Manager Projects
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग बरेली के अन्तर्गत लाल फाटक रोड एस०एच०-33 त्रिमूति फिल्लिंग स्टेशन से बुखारा मोड (चैनेज 0.370 से 2.620) लगभग 2.25 कि०मी० में दायीं पटरी पर गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.12375 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 10

शर्त संख्या-10, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन नहीं करेगा यदि उल्लंघन किया गया तो MoEF and CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018 के अनुसार की गयी कार्यवाही मान्य होगी ।

(समीर कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

श्री. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
अधिकृत वन संरक्षण परियोजना
Deputy General Manager - Projects
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली, द्वारा वन प्रभाग बरेली के अन्तर्गत लाल फाटक रोड एस०एच०-33 त्रिमूर्ति फिल्लिंग स्टेशन से बुखारा मोड (चैनेज 0.370 से 2.620) लगभग 2.25 कि०मी० में दायीं पटरी पर गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.12375 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 11

शर्त संख्या-11, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवम जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवम वन्य जीव के संरक्षण/सुरक्षा एवम विकास के लिये समय समय पर जो भी अन्य शर्तें लगायी जायेगी, उसका अनुपालन किया जायेगा।

(समीर कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

प्रा. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
अधिकृत, परियोजना
उप निदेशक, वन संरक्षण
Security General Manager - Projects
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली, द्वारा वन प्रभाग बरेली के अन्तर्गत लाल फाटक रोड एस०एच०-33 त्रिमूर्ति फिल्लिंग स्टेशन से बुखारा मोड (चैनेज 0.370 से 2.620) लगभग 2.25 कि०मी० में दायीं पटरी पर गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.12375 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 12

शर्त संख्या-12, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या कैम्पा फंड के ई-पोर्टल पर उनके द्वारा अपलोड कर दी जायेगी ।

(समीर कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

पि. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
अधिकृत सहप्रबंधक परियोजना
Deputy General Manager - Projects
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग बरेली के अन्तर्गत लाल फाटक रोड एस०एच०-33 त्रिमूति फिल्लिंग स्टेशन से बुखारा मोड (चैनेज 0.370 से 2.620) लगभग 2.25 कि०मी० में दायीं पटरी पर गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.12375 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 13

शर्त संख्या-13, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन वर्तमान(Surface Right) में प्रयुक्त रास्तो के किनारे पर ही बिछायी जायेगी ।

(समीर कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

श्री. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
अधिकृत, परियोजना
Deputy General Manager - Projects
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली, द्वारा वन प्रभाग बरेली के अन्तर्गत लाल फाटक रोड एस०एच०-33 त्रिमूति फिल्लिंग स्टेशन से बुखारा मोड (चैनेज 0.370 से 2.620) लगभग 2.25 कि०मी० में दायीं पटरी पर गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.12375 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 14

शर्त संख्या-14, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जानी वाली ट्रेंच की गहराई 2.00 तथा चौड़ाई 1.00 मी० से अधिक नहीं होगी।

(समीर कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

पि. आनंद विक्टर
अधिकृत P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक परियोजना
Deputy General Manager - Projects
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग बरेली के अन्तर्गत लाल फाटक रोड एस०एच०-33 त्रिमूति फिल्लिंग स्टेशन से बुखारा मोड (चैनेज 0.370 से 2.620) लगभग 2.25 कि०मी० में दायीं पटरी पर गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.12375 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 15

शर्त संख्या-15, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भरकर कम्पैक्ट किया जायेगा जिससे कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो ।

(समीर कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
अधिकृत वन प्रबंधक परियोजना
Deputy General Manager - Projects
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग बरेली के अन्तर्गत लाल फाटक रोड़ एस०एच०-33 त्रिमूति फिल्लिंग स्टेशन से बुखारा मोड (चैनेज 0.370 से 2.620) लगभग 2.25 कि०मी० में दायीं पटरी पर गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.12375 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 16

शर्त संख्या-16, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा ।

(समीर कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

अधिकृत महानिदेशक परियोजना
P. ANAND VICTOR
Deputy General Manager - Projects
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग बरेली के अन्तर्गत लाल फाटक रोड एस०एच०-33 त्रिमूति फिल्लिंग स्टेशन से बुखारा मोड (चैनेज 0.370 से 2.620) लगभग 2.25 कि०मी० में दायीं पटरी पर गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.12375 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 17

शर्त संख्या-17, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनो एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी ।

(समीर कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

अधिकृत 
P. ANAND VICTOR
परियोजना
Deputy General Manager - Projects
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली, द्वारा वन प्रभाग बरेली के अन्तर्गत लाल फाटक रोड एस०एच०-33 त्रिमूति फिल्लिंग स्टेशन से बुखारा मोड (चैनेज 0.370 से 2.620) लगभग 2.25 कि०मी० में दायीं पटरी पर गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.12375 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 18

शर्त संख्या-18, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादित से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी ।

(समीर कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

अधिकृत
P. ANAND VICTOR
परियोजना
Neputy General Manager - Projects
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग बरेली के अन्तर्गत लाल फाटक रोड एस०एच०-33 त्रिमूर्ति फिल्लिंग स्टेशन से बुखारा मोड (चैनेज 0.370 से 2.620) लगभग 2.25 कि०मी० में दायीं पटरी पर गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.12375 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 19

शर्त संख्या-19, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स(Surface right) नहीं दिया जायेगा एवम वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।

(समीर कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

अधिकृत सहसंचालक
P. ANAND VICTOR
परियोजना
Deputy General Manager - Projects
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली, द्वारा वन प्रभाग बरेली के अन्तर्गत लाल फाटक रोड एस०एच०-33 त्रिमूर्ति फिल्लिंग स्टेशन से बुखारा मोड (चैनेज 0.370 से 2.620) लगभग 2.25 कि०मी० में दायीं पटरी पर गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.12375 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 20

शर्त संख्या-20, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा उ० प्र० शासन पत्र सी० जी० आइ० -196/14-2-2010-1017/10 दिनांक 02.07.2010 एवं शासनादेश दिनांक 07.01.2011 के अनुपालन में जनपद बदायूं में किसी भी स्थान पर कुल 20 किमी० तीन लाइनो में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु 15730000/- रु० को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूं में जमा करा दिये गये हैं, उसकी प्रति संलग्न है।

(समीर कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

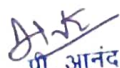
के. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
अधिकृत, वन प्रभाग, बरेली
Deputy General Manager - Projects
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली, द्वारा वन प्रभाग बरेली के अन्तर्गत लाल फाटक रोड एस०एच०-33 त्रिमूति फिल्लिंग स्टेशन से बुखारा मोड (चैनेज 0.370 से 2.620) लगभग 2.25 कि०मी० में दायीं पटरी पर गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.12375 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 21

शर्त संख्या-21, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है, उसकी प्रति संलग्न है।


(समीर कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली



पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
अधिकृत हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सुप. प्र. निदेशक
सुप. प्र. निदेशक - Projects
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली, द्वारा वन प्रभाग बरेली के अन्तर्गत लाल फाटक रोड एस०एच०-33 त्रिमूर्ति फिल्लिंग स्टेशन से बुखारा मोड (चैनेज 0.370 से 2.620) लगभग 2.25 कि०मी० में दायीं पटरी पर गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.12375 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 22

शर्त संख्या-22, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास वैध व अधिकृत लाइसेंस हैं तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, उसकी प्रति संलग्न है ।

(समीर कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

अधिकृत
P. ANAND VICTOR
परियोजना - Projects
Deputy General Manager
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग बरेली के अन्तर्गत लाल फाटक रोड एस०एच०-33 त्रिमूति फिल्लिंग स्टेशन से बुखारा मोड (चैनेज 0.370 से 2.620) लगभग 2.25 कि०मी० में दायीं पटरी पर गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.12375 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 24

शर्त संख्या-25, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 11-09/98- एफ़सी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा फाइल में दर्शाया है ,जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है ।

(समर कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

अ. पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक - परियोजना
अधिकृत
Deputy General Manager - Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग बरेली के अन्तर्गत लाल फाटक रोड एस०एच०-33 त्रिमूर्ति फिल्लिंग स्टेशन से बुखारा मोड (चैनेज 0.370 से 2.620) लगभग 2.25 कि०मी० में दायीं पटरी पर गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.12375 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 27

शर्त संख्या-27, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना स्थल के आस पास के फ्लोरा फाना / संरक्षण के अंतर्गत हर सम्भव उपाय किया जायेगा ।

(समीर कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

पी. आनंद विक्टर
अधिकृत हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
उप महाप्रबंधक परियोजना
Deputy General Manager - Projects
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग बरेली के अन्तर्गत लाल फाटक रोड एस०एच०-33 त्रिमूति फिल्लिंग स्टेशन से बुखारा मोड (चैनेज 0.370 से 2.620) लगभग 2.25 कि०मी० में दायीं पटरी पर गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.12375 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 28

शर्त संख्या-28, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कि प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य परियोजना के लिये नहीं किया जायेगा ।

(समीर कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

अधिकृत 
P. ANAND VICTOR
उप-प्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग बरेली के अन्तर्गत लाल फाटक रोड एस०एच०-33 त्रिमूति फिल्लिंग स्टेशन से बुखारा मोड (चैनेज 0.370 से 2.620) लगभग 2.25 कि०मी० में दायीं पटरी पर गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.12375 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 29

शर्त संख्या-29, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड उक्त के अतिरिक्त समय समय पर क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र लखनऊ के अनुसरण के अधीन होगी ।

(समार कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

अधिक्षेत्र प्रमुख - परियोजना
Deputy General Manager - Projects
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग बरेली के अन्तर्गत लाल फाटक रोड एस०एच०-33 त्रिमूति फिल्लिंग स्टेशन से बुखारा मोड (चैनेज 0.370 से 2.620) लगभग 2.25 कि०मी० में दायीं पटरी पर गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.12375 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 30

सामाजिक वानिकी प्रभाग बरेली के पत्र सख्या 3032/14-1, बरेली दिनांक 06.01.2023 के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित हो रही 0.12375 है० संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन० पी० वी०) की धनराशि 1,18,525/- ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फंड में जमा की जा चुकी है । जमा की गयी राशि की चालान की प्रति संलग्न है ।

(समीर कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

अ. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
सहायक महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Proposals received on or after 15th July 2014

GET LIST

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/Pipeline/152636/2022 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/Pipeline/152636/2022) Proposed Forest Land to be diverted for Laying of Gas Pipe Line along Lal Fatak (SH-33) Road (Ch 0.370 to 2.620) for approx 2.25 Kms District- Bareilly, UP	PIPELINE1526362022174	72152636174	27 Dec 2022	CA: 0/- , Addl CA 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety : 0/- , Addl PA 0/- Zone: : NPV: 118525/- Other Charges 0/- Charges10/- Other Charges20/- Other Charges30/- Total : 118525/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 13 Jan 2023 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 14 Jan 2023 Transaction Date 17 Jan 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/130120231225409149_FPUPPipe) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=1
2	FP/UP/Pipeline/141464/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/Pipeline/141464/2021) Proposed Forest Land to be diverted for Laying of HPCL Gas Pipe Line NH-09 Moradabad-Rampur Road, Distt- Moradabad, under City Gas distribution project	PIPELINE1414642021721	72141464721	03 Nov 2022	CA: 0/- , Addl CA 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety : 0/- , Addl PA 0/- Zone: : NPV: 547324/- Other Charges 0/- Charges10/- Other Charges20/- Other Charges30/- Total : 547324/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 15 Dec 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 15 Dec 2022 Transaction Date 22 Dec 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/141220221939237033_FPUPPipe) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=1
3	FP/UP/Pipeline/141900/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/Pipeline/141900/2021) Proposed Forest Land to be diverted for Laying of Gas Pipe Line along Bareilly to Moradabad Road, NH-24 (Ch. 22.7 to 60.5 and PWD Road 0.0 km to 5.95 km) for approx 43.75 KM in Distt- Rampur UP	PIPELINE1419002021567	72141900567	21 Apr 2022	CA: 0/- , Addl CA 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety : 0/- , Addl PA 0/- Zone: : NPV: 2304611/- Other Charges 0/- Charges10/- Other Charges20/- Other Charges30/- Total : 2304611/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 15 Jul 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 01 Aug 2022 Transaction Date 02 Aug 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/150720221137315604_FPUPPipe) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=1



SWACHH BHARAT

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



The national portal of India

india.gov.in

(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)

mygov

www.MYGOV.IN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)



MeitY

P. ANAND VICTOR

उप महाप्रबन्धक - परियोजना

General Manager - Projects

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
 Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (PrivacyPolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) |
 Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in





पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
Petroleum and Natural Gas Regulatory Board

प्रथम-तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, नयी दिल्ली - 110001
 1st Floor, World Trade Centre, Babar Road, New Delhi - 110001

PNGRB/CGD/BID/10/2018/GA/10.37/Schedule-D

29th March 2019

To,
Hindustan Petroleum Corporation Limited
Natural Gas Department, 4th Floor, R&C Building,
Sir JJ Road, Byculla,
Mumbai - 400008

(Kind Attn: Shri Dilip Kumar Pattnaik, CGM, Gas & Renewables)

Subject: Grant of Authorisation to Hindustan Petroleum Corporation Limited for development of City Gas Distribution Network in the Geographical Area of Bareilly (Except area already authorized) District, Pilibhit and Rampur Districts (GA 10.37).

Sir,

With reference to submission of Performance Bank Guarantee for Rs. 50 crore vide your letter dated 28.03.2019, as per the requirement under Regulation 10 (1) of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, please find enclosed authorization in Schedule D for the GA of **Bareilly (Except area already authorized) District, Pilibhit and Rampur Districts** in duplicate.

2. The tariff applicability is as per the Judgement of Hon'ble Supreme Court of India in the SLP No. 22273 of 2012.

3. You are requested to put your stamp & signature on each page of the document and return one copy, within 7 days of receipt of this communication, to the PNGRB for records.

4. The enclosed authorization issues with the approval of the Board.

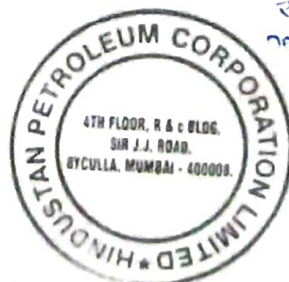
Signatures

13/02/2022

चिन्मय बिश्वास
 CHINMAY BISWAS
 मुख्य प्रबंधक-परियोजना
 Chief Manager-Projects

पी. आनंद विक्टर
 P. ANAND VICTOR
 उप महाप्रबंधक - परियोजना
 Deputy General Manager - Projects

तेजपाल सिंह चुंडवत
 TEJPAL SINGH CHUNDAWAT
 प्रबंधक - गैस विभाग
 Manager - Gas Division



Handwritten signature of P. Anand Victor
 P. ANAND VICTOR
 उप महाप्रबंधक - परियोजना
 Deputy General Manager - Projects

Arvind Kumar
(Additional Adviser)

अरविंद कुमार
 ARVIND KUMAR
 अतिरिक्त सलाहकार

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
 प्रथम-तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, नयी दिल्ली - 110001
 1st Floor, World Trade Centre, Babar Road, New Delhi - 110001

Schedule D

Grant of authorisation for laying, building, operating or expanding CGD network

To
Hindustan Petroleum Corporation Limited,
Natural Gas Department, 4th Floor, R&C Building,
Sir JJ Road, Byculla,
Mumbai - 400008

Ant
पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

(Kind Attn: Shri Dilip Kumar Pattnaik, CGM, Gas & Renewables)

Subject: Grant of Authorization for laying, building, operating or expanding CGD network in the authorized area of Bareilly (Except area already authorized) District, Pilibhit and Rampur Districts in the State of Uttar Pradesh under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008

Sir,

With reference to your application-cum-bid for grant of authorisation for laying, building, operating or expanding the City Gas Distribution (CGD) network in GA-10.37 (Bareilly (Except area already authorized) District, Pilibhit and Rampur Districts) in the State of Uttar Pradesh, it has been decided to grant you the authorisation subject to the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008 and the following terms and conditions, namely:-

1. The Authorised Area for laying, building, operating or expanding the proposed CGD Network shall cover an area of 9886 square kilometer and as depicted in the enclosed drawing or map,

2. The activities of laying, building, operating or expansion of the CGD Network shall commence immediately after the issuance of this authorisation.

3. The activities permitted above shall have to be completed as per the work programme mentioned below, namely:

Ant
पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

श्री. दिनेश चण्डावत
SINGH CHUNDAWAT
प्रबंधक - गैस विभाग



अरविन्द कुमार
ARVIND KUMAR
अपर सहायक
Additional Assistant
महानगर गैस विभाग - गैस विभाग
महानगर गैस विभाग - गैस विभाग
महानगर गैस विभाग - गैस विभाग


 पी. आनंद विक्टर
 P. ANAND VICTOR
 उप महाप्रबंधक - परियोजना
 Deputy General Manager - Projects

Serial Number	Description of work	Numbers
1	Number of CNG Stations (Online and Daughter Booster stations) to be installed within 8 contract years from the date of authorisation	140
2	Number of domestic Piped Natural Gas connections to be achieved within 8 contract years from the date of authorisation	145000
3	Inch-km of steel pipeline to be laid within 8 contract years from the date of authorisation	1200

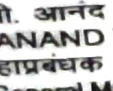
The entity shall be required to achieve the year-wise work programme within 8 contract years as per details given below:

PNG Connections (cumulative)		CNG Stations (cumulative)		Inch-km of steel pipeline (cumulative)	
By the end of contract year	% of work program	By the end of contract year	% of work program	By the end of contract year	% of work program
1 st	Nil	1 st	Nil	1 st	5
2 nd	10	2 nd	15	2 nd	20
3 rd	20	3 rd	30	3 rd	40
4 th	30	4 th	45	4 th	60
5 th	40	5 th	60	5 th	70
6 th	60	6 th	75	6 th	80
7 th	80	7 th	90	7 th	90
8 th	100	8 th	100	8 th	100

Note - In case derived numbers are in fraction, the same shall be rounded off to the nearest whole number and 0.5 shall be rounded off to next higher whole number.

4. Any failure on the part of the entity in complying with the milestones prescribed in the work programme shall lead to consequences as specified under regulation 16.

5. The entity shall design and install an optimal size of the infrastructure in terms of pipelines of various types including steel belting of the authorised area, online compressors of adequate capacity for compressing of natural gas into CNG, allied equipment and facilities in the CGD network depending upon the potential demand for natural gas. The infrastructure in the CGD network should be adequate to maintain uninterrupted flow of natural gas in the pipelines and be also able to maintain supplies at adequate pressure to online CNG stations.


 पी. आनंद विक्टर
 P. ANAND VICTOR
 उप महाप्रबंधक - परियोजना
 Deputy General Manager - Projects
 TEJPAL SINGH CHUNDAWAT
 प्रबंधक - गैस निभान




 अरविंद कुमार
 ARVIND KUMAR
 अध्यक्ष, गैस निभान
 Chairman, Gas Supply
 1st Floor, World Trade Centre
 1st Floor, World Trade Centre
 1st Floor, World Trade Centre

Handwritten signature: *Atk*
पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

6. The entity shall maintain an uninterrupted supply of natural gas to all categories of customers in the CGD network. In the event of any disruption in the supply of natural gas in the CGD Network, first priority shall be accorded to restoration of supplies to domestic PNG customers. In case of disruption of supply to domestic PNG customers for more than twelve hours, the entity shall compensate the domestic customer on the following manner, namely: -

- (a) the normative volume of natural gas consumption for the first domestic PNG connection for cooking requirements based on last three months weighted average consumption per day to be applied for each day's disruption and multiplied by ten;
- (b) normative value of natural gas consumption shall be based on last three months' weighted average billing price of natural gas for supplies to the first domestic PNG connection for cooking requirements; and
- (c) the value of compensation shall be equal to normative volume of natural gas consumption as per clause (a) above multiplied by normative value as per clause (b) and shall be adjusted by allowing a credit to the domestic PNG Customer in the next billing cycle or in the next pre-paid smart card in case of smart card metering.

In case the disruption of supplies is attributed to any fault of the domestic PNG customer, no compensation shall be payable by the entity.

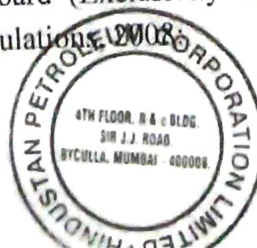
7. The entity is allowed an exclusivity period under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, in respect of the following, namely:

- (a) 300 months from the date of issue of this communication for laying, building and expansion of the CGD network; and
- (b) 96 months from the date of issue of this communication in terms of an exemption from the purview of common carrier or contract carrier for the CGD network:

Provided that the entity meets the obligations in line with the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008.

Handwritten signature: *Srinivas*
13/10/2022
विष्णु बिश्वास
CHINMAY BISHWAS
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Chief Manager-Projects

Handwritten signature: *Atk*
पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects
TEJPAL SINGH CHUNDAWAT
प्रबंधक - गैस विभाग
Manager - Gas Division



Handwritten signature: *Atk*
विष्णु बिश्वास
CHINMAY BISHWAS
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Chief Manager-Projects

Handwritten signature: **पी. आनंद विक्टर**
P. ANAND VICTOR
 उप महाप्रबंधक - परियोजना
 Deputy General Manager - Projects

Provided further that the period of exclusivity allowed under sub-clause (a) or sub-clause (b) may be terminated before the expiry of the period mentioned above in line with the provisions under Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008.

8. The authorised entity shall be required to take prior approval from the Board for creation of any lien, charge or hypothecation of the CGD network to secure finances for the project and furnish details of utilisation of funds. And, in case of raising funds from any financial institution or bank, the entity will be required to only inform the Board of the sanction of the funds within a period of seven days.

9. The entity shall submit a detailed and clear financial closure report to the Board within a period of two hundred and seventy days from the date of authorisation issued by the Board under regulation 10.

10. The entity shall publish on its website the transportation rate for CGD and transportation rate for CNG in the authorised area as per the following table namely: -

Serial Number	Description	Rate
1	Transportation rate for CGD - in rupees per million British Thermal Unit (Rs./MMBTU) for the first contract year	30
2	Transportation rate for CNG - in rupees per kilogram (Rs. /kg) for the first contract year	2

Note - Annual escalation shall be considered from the second contract year and onwards based on the "Wholesale Price Index (WPI) Data (2011-12 = 100)" for "All Group / Commodity", as normally available on the website of the Office of the Economic Adviser, Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) on the link "<http://eaindustry.nic.in/home.asp>."

Handwritten signature: **Chinmay Biswas**
 12/02/2022

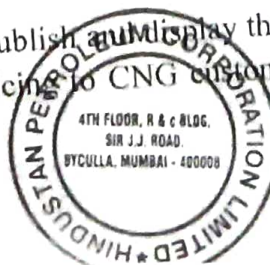
चिन्मय बिस्वास
CHINMAY BISWAS
 मुख्य प्रबंधक - परियोजना
 Chief Manager-Projects

Handwritten signature: **पी. आनंद विक्टर**

पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
 उप महाप्रबंधक - परियोजना
 Deputy General Manager - Projects
 तेजपाल सिंह चुंडवत
TEJPAL SINGH CHUNDAWAT
 प्रबंधक - गैस विभाग

11. The entity shall publish the applicable retail selling price of PNG for all categories of customers and also for the purpose of invoicing in Rs. / MMBTU.

The entity shall publish and display the retail selling price of natural gas for the purpose of invoicing to CNG customers in Rs. / Kg at all natural gas dispensing stations.



Handwritten signature: **अशोक कुमार**
ASHOK KUMAR
 अध्यक्ष, प्रादेशिक प्राधिकरण
 Chairman, Regional Authority
 प्रादेशिक प्राधिकरण, गैस विभाग
 Regional Authority, Gas Department

प्री. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

13. The furnishing of performance bond of Rs. 500 Million is a guarantee for timely commissioning of the project as per the prescribed work programme in the bid and for meeting the service obligations during the operating phase of the project.

14. The entity shall comply with the applicable provisions under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, relevant regulations for technical standards and specifications, including safety standards, any other regulations as may be applicable and the provisions of the Act.

15. In case the authorisation of the entity is terminated, the Board may assign the rights and obligations of the entity to any agency or another entity on such terms and conditions, as it may deem fit. Further, the entity may be required, as per the directions of the Board, to continue the operations of the CGD network at the same level till another agency or entity appointed by the Board takes over the full control of the CGD network.

16. The entity shall comply with any other term or condition which may be notified by the Board in public interest from time to time.

You are requested to confirm your acceptance by filling-in the acceptance of the grant of authorisation provided below and return the same in original.

Yours faithfully,

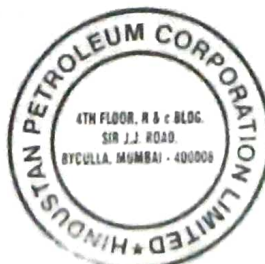
Dated:

[Signature]

प्री. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

Name and Designation of Officer
On behalf of the PNGRB

Official Seal



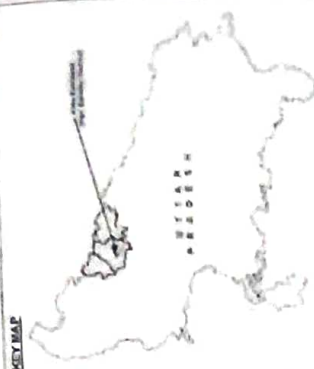
[Signature]
तेजपाल सिंह चंडावत
TEJPAL SINGH CHUNDAWAT
प्रबंधक - गैस विभाग
Manager - Gas Division

अतिरिक्त सलाहकार
ARVIND KUMAR
Additional Adviser
विशेष गैर आकस्मिक गैस विभाग के
Petroleum & Natural Gas Regulatory Board
महानगर, नई दिल्ली-110001
1st Floor, World Trade Centre
नई दिल्ली-110001
New Delhi-110001

आध्यात्मिक अभियन्ता

**GEOGRAPHICAL AREA
BAREILLY (EXCEPT AREA ALREADY
AUTHORIZED), PILIBHIT AND RAMPUR
DISTRICTS**

KEY MAP



Total Geographical Area (Sq Km)	9,286
No. of Charge Area	15
Total Household	12,06,337
Total Population	75,34,650

CHARGE AREA ID	NAME	CHARGE AREA ID	NAME
CA-01	Tanda	CA-09	Amli
CA-02	Swar	CA-10	Bareilly (Part)
CA-03	Rampur	CA-11	Fareedpur
CA-04	Shahdadi	CA-12	Nawabganj
CA-05	Milak	CA-13	Pilibhit
CA-06	Bahadri	CA-14	Bisalpur
CA-07	Bahadri	CA-15	Puranpur
CA-08	Meerganj		

LEGEND

VECTOR

- DISTRICT HEADQUARTER
- TOWN
- VILLAGE WITH POPULATION 1000 AND ABOVE
- NATURAL HIGHWAY
- STATE HIGHWAY
- RAILWAY
- GA BOUNDARY
- DISTRICT BOUNDARY
- CHARGE AREA BOUNDARY
- WATER BODY
- AREA EXCLUDED
- INDUSTRIAL AREA

LANDMARK

- RAILWAY STATION

MAP SCALE
10 0 10 20 KM

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD
1st Floor, New Trade Centre, Sector 17, Gurgaon-122002

Map No.	200/13/17
Date	Nov-18
Scale	1:100,000
Project Title	Geographical Area Bareilly (except area already authorized), Pilibhit and Rampur Districts

P. Anand Vektor
P. ANAND VIKTOR
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

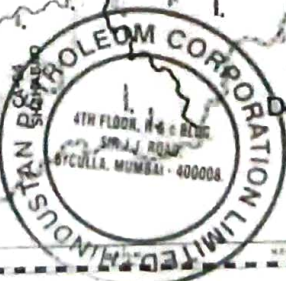
Scissors

12/02/2022

चिन्मय बिस्वास
CHINMAY BISWAS
मुख्य प्रबंधक-परियोजना
Chief Manager-Projects

तेजपाल सिंह चुंडावा
TEJPAL SINGH CHUNDAWA

Manager, Gas Division



P. Anand Vektor
P. ANAND VIKTOR
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

(8)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड भवन, लो०नि०वि०, बरेली

पत्रांक 2939 / NOC

दिनांक - 17/12/2020

सेवा में,

वरिष्ठ प्रबन्धक
शहरी गैस वितरण परियोजना,
यू०पी० क्लस्टर प्रथम एवं द्वितीय तल,
महालक्ष्मी टावर्स, 112 सिविल लाइन्स, बरेली।

P. Anand Victor
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

विषय :-

Permission for laying natural gas pipe line with OFC (optical fiber cable) along SH-33 from Chaubari Ga
Station to Junction of Lal Phatak Road (5.500 Km. approximate)

संदर्भ :-

आपका पत्रांक HPCL/CGD/BLY/135 Dated 23-11-2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि मुख्य शाखा, एस०बी०आई० बैंक, लखनऊ का डी०डी नं० 398196 दिनांक 19.08.2020 के द्वारा रू० 8317.00 (नॉन रिफण्डेबिल) हेतु एवं आई०सी०आई०सी०आई० बैंक लि०, प्रथम तल, 163, एच०टी प्रकाश मार्ग, चर्च गेट, मुम्बई बैंक गारण्टी नम्बर 0393NDLG00096521 दिनांक 19.08.2020 रू० 53,95,800.00 मात्र परफार्मेंस बैंक गारण्टी (रिफण्डेबिल) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लो०नि०वि०, बरेली के नाम इस कार्यालय को प्रेषित किये गये हैं। अतः मुख्य सचिव उ०प्र० शासन के शा०सं० 760/नो-9-2018-101ज/17 दिनांक 30.05.2018 के अनुपालन में मार्ग के मध्य भाग से बायी ओर 20.00 मी छोड़कर मार्ग के कच्चे भाग में मिट्टी खोदकर नैचुरल गैस पाइप लाइन एवं ओ०एफ०सी० केबिल (ऑप्टिकल फाइबर) बिछाने की अनुमति निर्माता के साथ प्रदान की जाती है:-

- 1 रोड कटिंग करते समय आवश्यक चेतावनी/बोर्ड/बैरिकेट्स व रात्रि में प्रकाश की व्यवस्था की जाये। कार्य करते समय यदि कोई दुर्घटना होती है, तो उसके लिए आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 2 यातायात में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न की जाये।
- 3 भूमिगत नैचुरल गैस पाइप लाइन एवं ओ०एफ०सी० केबिल बिछाते समय अन्य भूमिगत सेवाओं की क्षति पहुंचने की स्थिति में उ० पूर्व की भांति तत्काल मरम्मत कराने का दायित्व आपका होगा।
- 4 आवादी भाग में खोदे गये गड्ढे के चारों ओर से बैरिकेटिंग/टीन आदि लगाकर सुरक्षित किया जाये, ताकि गड्ढे में कोई व्यक्ति/बच्चा अथवा जानवर आदि न गिर जाये। सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धित पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदनकर्ता/कार्यदागी सरस्था व होगा।
- 5 पुनर्स्थापना की गुणवत्ता कार्य पूर्ण होने के पश्चात् लो०नि०वि० की सन्तुष्टि और विशिष्टियों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।
- 6 भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य में आवश्यकता होने पर आपके द्वारा गैस पाइप लाइन एवं ओ०एफ०सी० केबिल स्थानान्तरित करने की व्यवस्था आपने व्यय पर स्वयं वहन करनी पड़ेगी।
- 7 कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् सम्बन्धित लो०नि०वि० के सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी व आवश्यक रूप से अवगत कराना होगा।
- 8 उपरोक्त कार्य हेतु निर्गत एन०ओ०सी० के निरस्तीकरण का पूर्ण अधिकार लो०नि०वि० के पास रहेगा।
- 9 उपरोक्त बिन्दुओं के क्रम में यदि किसी बिन्दु का अक्षरशः पालन नहीं किया जाता है, तो आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही व जायेगी, जिसमें आपका कोई भी दावा/क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 10 उपरोक्त नैचुरल गैस पाइप लाइन एवं ओ०एफ०सी० केबिल डालने के कार्य के लिए निर्गत उक्त एन०ओ०सी० एन०एच०ए०आई० को आपत्ति होती है, तो अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- 11 उक्त भूमिगत नैचुरल गैस पाइप लाइन एवं ऑप्टिकल फाइबर केबल सड़क के मध्य से 20.00 मीटर दूरी पर किया जायेगा ए पाइप लाइन बिछाने का कार्य ग्राउण्ड लेबल से 2.50 से 3.00 मी० की गहराई पर किया जायेगा।
- 12 उक्त अनुमति की वैधता पत्र निर्गत किये जाने के तीन माह तक होगी, तत्पश्चात् अनुमति स्वतः समाप्त मानी जायेगी। उक्त ति० से अधिक समय में कार्य पूर्ण किये जाने की स्थिति में पूर्व में दिये गये रोड कटिंग चार्ज (सिक्क्योरिटी डिपोजिट) रिफण्डेबिल बैंक गारण्टी के सापेक्ष नई बैंक गारण्टी जोकि अधिशासी अभियन्ता नि०ख० भवन, लो०नि०वि०, बरेली के नाम बन्धक हो, खण्ड प्रस्तुत करना होगी।

पत्रांक

प्रतिलिपि-

- 1 सहायक अभियन्ता (द्वितीय), निर्माण खण्ड भवन, लो०नि०वि०, बरेली को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 खण्डीय कैशियर, निर्माण खण्ड भवन लो०नि०वि०, बरेली को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रवीण कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
17/12/2020 दिनांक / / 2020

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ ।

पत्रांक 1511 / 29-1

दिनांक 31 दिसम्बर / 2021

सेवा में,

उप महाप्रबन्धक परियोजना
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
शहरी गैस वितरण परियोजना
यू0पी0 और यू0के0 कलस्टर 112
सिविल लाइन्स बरेली।

विषय:- पी0एन0जी0 गैस पाइपलाइन बिछाने हेतु प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक 1036 / 5-1 दिनांक 23 अक्टूबर 2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि उ0प्र0 शासन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश दिनांक 7.01.2011 में दिये गये प्राविधान के अनुसार किसी भी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु डी0डी0 संख्या 399391 दिनांक 23.12.2021 मु0 15730000 / - (मु0 एक करोड सत्तावन लाख तीस हजार रू0 मात्र) इस कार्यालय को प्राप्त हो गया है।

भवदीय,

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ ।

पत्रांक / 5-1 दिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्रभाग शाहजहाँपुर को उनके पत्रांक 1482 / 14-1 दिनांक 22.10.2021 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

अशोक कुमार सिंह
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबन्धक - परियोजना
Deputy General Manager - Project

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ ।